न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 15/2026

01. देवीलाल पुत्र श्योचन्द जाति निवासी चक 13 केएनडी तहः रावला जिला श्रीगंगानगर हाल चक 17 केवाईडी (सी) तहः खाजूवाला जिला बीकानेर .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–19.03.26**

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 17 केवाईडी सी मु0नं0 117/12 में कुल 2.5291 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि जरिये बैयनामा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि के बैयनामा करते समय मुझ प्रार्थी के पिता का नाम भयोचंद लिखा गया था जबकि मुझ प्रार्थी के द्वारा जो दस्तावेज बैयनामा करते वक्त पेष किये गये थे उसमें श्योचंद अंकित है। उक्त रकबा का कब्जा वादी के पास बैयनामा दिनांक 13.10.2020 से आजतक लगातार चला आ रहा है। वादी अनपढ है इसलिए उक्त गलत लिखे गये नाम का पता नहीं चला और इसप्रकार बैयनामा करते समय वादी के पिता का नाम त्रुटिवष भयोचंद लिखा गया। वादी अपने उक्त रकबा पटवारी हल्का के पास केसीसी के दस्तावेज बनवाने गया तो पटवारी हल्का ने कहा की राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम भयोचंद अंकित है जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में पहचानपत्र, वोटरलिस्ट व मूलनिवास प्रमाणपत्र में श्योचंद अंकित है। वादी ने जानबूझ कर अपने पिता का नाम गलत नहीं लिखा है व लिपिकीय त्रुटि की वजह से पिता का नाम गलत दर्ज हो गया है। जिससे वादी को काफी परेषानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके लिये वादी राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम शुद्ध करवाना चाहता है। वादी अपने उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भयोचंद की जगह श्योचंद की घोषणा व दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः घोषणात्मक वाद पेषकर श्रीमानजी निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा तहसील खाजूवाला का चक 17 केवाईडी सी मु0नं0 117/2 में 2.5291 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम भयोचंद की जगह श्योचंद की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में पहचानपत्र, वोटरलिस्ट, मूलनिवास प्रमाण की प्रति प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थी के पिता नाम श्योचंद ही अंकित है एवं बैयनामा में भयोचंद ही लिखा है किन्तु उसमें जो शपथपत्र है वह देवीलाल पुत्र श्योचंद नाम से ही लिया गया है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/ शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 17 केवाईडी सी मु0नं0 117/12 में कुल 2.5291 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी के पिता का नाम भयोचंद की जगह श्योचंद संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच भयोचंद नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का भयोचंद नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम भयोचंद ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी /वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)